न्यायालय माननीय म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प इंदौर म0प्र0।

R 1341-PBR/14

लोधा लववंशी सामूहिक धर्मशाला,
ग्राम जेतपुरा द्वारा :-

1- अध्यक्ष , श्री राधाकिशन पिता श्री गोबाजी रेवाटीया,

2- उपाध्यक्षक, नरसिंह पटेल पिता भागीरथजी पटेल संवराया

3- सचिव, नाथुलाल पिता अंबारामजी पडियार

सभी का धंधा खेती, सभी निवासी ग्राम जेतपुरा जिला धार

प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 25/3/2014 को प्रस्तुत

------ निगरानीकर्ता

बनाम

कंवरलाल पिता भुवानजी, जाति लोधा, आयु 43 वर्ष,
निवासी-ग्राम जेतपुरा तह.व जिला धार म.प्र.

--- रेस्पोडेन्ट

निगरानी अर्ज अंतर्गत धारा ~~44~~ 50 भू.रा.सं. 1959 अनुसार

" यह निगरानी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय, तहसील धार अधिष्ठाता माननीय शिवानी पाण्डे मेडम के राजस्व प्रकरण क्र. 62/2013-14 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 10/02/2014 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई हैं।"

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 1341–PBR / 2014

जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
21–8–2014	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 10–2–14 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि प्रकरण में संलग्न बी–1 खसरा वर्ष 2013–14 में प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 311 रकबा 2.897 हेक्टेयर आबादी (गोठान) शासकीय भूमि दर्ज है, जबकि म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 109, 110 के तहत कृषि भूमि के नामांतरण का तहसीलदार को अधिकार है । अतः उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार को प्रश्नाधीन भूमि के नामांतरण का अधिकार नहीं होने से आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	